### राज्य भर में पीड़ित संसाधन

पीड़ित सहायता के लिए Massachusetts कार्यालय पीड़ित और गवाह सहायता बोर्ड (617) 586-1340

पीड़ित मुआवजा और सहायता प्रभाग अटॉर्नी जनरल का कार्यालय (617) 727-2200 एक्सटेंशन 2160

यू.एस. अटॉर्नी का कार्यालय पीड़ित और गवाह सहायता कार्यक्रम (617) 748-3100

आपराधिक न्याय जानकारी सेवा का विभाग (DCJIS) पीड़ित सेवा का यूनिट (617) 660-4690 या (617) 660-4606 (TTY)

Massachusetts का सुधार विभाग पीड़ित सेवाएं का यूनिट (978) 369-3618 टोल फ्री (866) 6VICTIM (866-684-2846)

Massachusetts का पैरोल बोर्ड पीड़ित सेवा यूनिट (508) 650-4500 या (888) 298-6272

यौन अपराधी रजिस्ट्री बोर्ड पीड़ित सेवा यूनिट (978) 740-6440 टोल फ्री (800) 93MEGAN (800-936-3426)

युवा के लिए सेवाएं का विभाग (DYS) पीड़ित सेवाएं का यूनिट (617) 727-7575

Massachusetts प्रोबेशन सेवा पीड़ित सेवाएं का यूनिट (617) 727-5300 Massachusetts Office For Victim Assistance
Victim & Witness Assistance Roard

#### मिशन स्टेटमेंट

Massachusetts कार्यालय (एमओवीए) का पीड़ित सहायता (MOVA) मिशन राष्ट्रमंडल (गणतंल देश) में सभी अपराध पीड़ितों और गवाहों को सशक्त बनाने के लिए है। MOVA का प्रयास है समान सेवाओं को पूरे राष्ट्रमंडल में सुनिश्चित पहुंचना, जो सर्वाइवर-सूचित नीति विकास, निधि प्रशासन, प्रशिक्षण और व्यक्तिगत सहायता के माध्यम से अपराध प्रभावित लोगों की अनोखी जरूरतों को पूरा करते हैं।

### पीड़ित सहायता के लिए Massachusetts कार्यालय

पीड़ित और गवाह सहायता बोर्ड वन एशबर्टन प्लेस, सुइट 1310 बोस्टन, एमए 02108 टेलीफोन: (617) 586-1340 फैक्स: (617) 586-1367 www.mass.gov/mova

यह प्रकारान OVC, OJP, U.S. DOJ से VOCA अनुदान के माध्यम से आंशिक रूप से समर्थित था,। इस प्रकारान में व्यक्त राय, जांच और निष्कर्ष या सिफारिशें पीड़ित सहावता Massachusetts कार्यालय के हैं और यह DOJ या OJP, OVC के विचारों को आवश्यक रूप से प्रतिबिंकित नहीं करता।

### पीड़ित गवाह सहायता कार्यक्रम

Massachusetts में हर एक काउंटी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी कार्यालय (जिला के अटॉर्नी) में और अटॉर्नी जनरल के कार्यालय में मामले(केस) के अभियोजन के दौरान अपराध पीड़ितों की मदद करने के लिए पीड़ित गवाह सहायता कार्यक्रम होता हैं। जिस अपराध में आप पीड़ित हो, उसके बारे में जानकारी और सहायता के लिए, उस काउंटी के पीड़ित गवाह सहायता कार्यक्रम कार्यालय में कॉल करें जहां अपराध हुआ था।

अटॉर्नी जनरल का	
आपराधिक ब्यूरो (कार्यालय)	(617) 727-2200
बर्कशायर काउंटी	(413) 443-5951
ब्रिस्टल काउंटी	(508) 997-0711
केप एंड आइलैंड्स	
बार्नस्टेबल, ड्यूक्स	
और नानटकेट काउंटी	(508) 362-8113
पुसेक्स काउंटी	(978) 745-6610
हैम्पडेन काउंटी	(413) 747-1000
मिडलसेक्स काउंटी	(781) 897-8300
नॉरफ़ॉक काउंटी	(781) 830-4800
नॉर्थवेस्टर्न	
फ्रैंकलिन काउंटी	(413) 774-3186
हैम्पशायर काउंटी	(413) 586-9225
प्लायमाउथ काउंटी	(508) 584-8120
सफ़ोक काउंटी	(617) 619-4000
वॉर्सेस्टर काउंटी	(508) 755-8601

हिंदी 0322

# MASSACHUSETTS पीड़ित अधिकारों का बिल

एक अपराध पीड़ित के रूप में अपने अधिकारों को समझना



### **MASSACHUSETTS**

### पीड़ित के अधिकारों का बिल

पीड़ित के अधिकारों का बिल\* अपराध पीड़ितों और गवाहों को आपराधिक मामलों के महत्वपूर्ण चरणों में सूचित किया जाएगा, उपस्थित किया जाएगा और उनकी बातों को सुना जाएगा तािक यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह बिल मौजूद है। ये मूलभूत और मौलिक अधिकार पीड़ितों और सर्वाइवर को आपराधिक न्याय प्रणाली में एक सार्थक भूमिका प्रदान करने का प्रयास करते हैं। यह आवश्यक है कि आपको सौंपे गए अभियोजक या पीड़ित वकील को आप अपनी संपर्क जानकारी अपडेट करें तािक आपके लिए उपलब्ध अधिकारों के लिए वे आपको सिनिश्चित कर सकें।

\*अपने अधिकारों की पूरी सूची के लिए, कृपया पीड़ित के अधिकारों का बिल (M.G.L. c.258B) को देखें।

### आपराधिक न्याय प्रणाली में पीड़ित के अधिकार और सेवाएं



- » एक आपराधिक मामला सिस्टम में कैसे चलता है, इस प्रक्रिया में आपकी क्या भूमिका होगी, और आपसे क्या उम्मीद की जाएगी और क्यों इस बारे में सूचित रहना।
- » आपराधिक न्याय प्रणाली में पीड़ितों और गवाहों को उपलब्ध अधिकारों और सेवाओं के बारे में सूचित रहना।
- » आपके लिए संभावित उपलब्ध सामाजिक सेवाएं, सामुदायिक समर्थन और वित्तीय सहायताओंको आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं इसके बारे में सुचित रहना।

### आप से जुड़े आपराधिक मामले के बारे में विशेष जानकारी



#### आपके पास अधिकार है...

- » मामले (केस में) में महत्वपूर्ण घटनाक्रम पर अपडेट रहना
- » जिस मामले के लिए आपको उपस्थित होने का आदेश दिया गया है, उस मामले के लिए अदालत में पेश होने की समय-सारणी में किसी भी बदलाव के बारे में समयबद्ध तरीके से सूचित रहना।
- » मामला शुरू होने से पहले, केस खारिज होने से पहले, मुकदमे से पहले, और सजा की सिफारिश करने से पहले अपने अभियोजक से बात करना।
- » जब भी कोई बचाव पक्ष का अटार्नी (वकील) अदालत से आपके मनोरोग संबंधी रिकॉर्ड या अन्य गोपनीय जानकारी प्राप्त करने के लिए कहे, तो अभियोजक से बात करना।
- अपराधी के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रमाणित होने के तरीके के बारे में सुचित रहना।

## अदालती व

### अदालती कार्यवाही में भाग लेते समय

### आपके पास अधिकार है...

- » जब तक आपको गवाही न देनी पड़े और न्यायाधीश यह निर्णय न लें कि अदालत कक्ष में रहने से आपकी गवाही प्रभावित हो सकती है तब तक आप अपने परिवार के साथ सभी कार्यवाही में उपस्थित रहना।
- » आपके लिए न्यायालय द्वारा प्रदान किया गया एक सुरक्षित प्रतीक्षा क्षेत्र या कमरा जो बचाव पक्ष और बचाव पक्ष के परिवार और दोस्तों से अलग है।
- अ यदि अपराध या अदालती प्रक्रिया में आपके शामिल होने से आपके काम या भुगतान दायित्वों को पूरा करने में आपको समस्या आती है, तो अभियोजक के कार्यालय से अपने नियोक्ताओं या लेनदारों के साथ आपको मदद मिलेगी। गवाहों को अदालत में गवाही देने के लिए कहा गया हो, तो उनके नियोक्ताओं को अग्रिम रूप से सूचित किया जा सकता है, कि अदालत में सम्मन का जवाब देते समय काम से उनकी अनुपस्थिति के आधार पर उनके नियोक्ता द्वारा उनको निकाला या उन्हें दंडित नहीं किया जा सकता।
- » जब तक कि ज्यूरी न देख ले, तब तक हत्या के शिकार बने अपने प्रियजन की एक 8 x 10 या उससे छोटी तस्वीर अदालत कक्ष में ला सकते है।

### प्रतिवादी को अदालत द्वारा सजा सुनाए जाने से पहले



### आपके पास अधिकार है...

- » अभियोजक से अदालत को की गई उनकी प्रस्तावित सजा के सिफारिश के बारे में बात कर सकते है।
- » इससे पहले कि परिवीक्षाधीन अधिकारी अदालत में अपराधी पर पूर्ण पूर्व-वाक्य रिपोर्ट दर्ज करे, परिवीक्षाधीन अधिकारी से इस बारे में बात करें कि अपराध ने आपको कैसे प्रभावित किया।
- अप पर अपराध के शारीरिक, भावनात्मक और वित्तीय प्रभावों के बारे में सजा सुनाते समय पीड़ित व्यक्ति के प्रभाव का बयान अदालत को दे सकते है और दी जाने वाली सजा के बारे में अपनी राय बता सकते है।
- » न्यायाधीश अपराधी को आपके अपराध से संबंधित वित्तीय नुकसान के लिए बहाली का भुगतान करने का आदेश देने के लिए, और अपराधी के पर्यवेक्षण परिवीक्षा अधिकारी से बहाली भुगतान की अपराधी की अनुसूची की एक प्रति प्राप्त करने के लिए पूछ सकते है।

### सजा, बहाली और अपराधी की रिहाई या हिरासत में स्थिति



### आपके पास अधिकार है...

- » मामले के अंतिम परिणाम के बारे में सूचित रह सकते है, जिसमें दिए गए वाक्य के प्रकार और परिवीक्षा की शर्तों की एक प्रति, यदि कोई हो, तो उसकी व्याख्या को पछ सकते है।
- » जब भी वह अपराधी बहाली आदेश को बदलने के लिए कहे और किसी भी संबंधित सुनवाई में सुनाने के बारे में, अपराधी के पर्यवेक्षण परिवीक्षा अधिकारी द्वारा सूचित किया जाए।
- » जब कानून प्रवर्तन को आपके संपत्ति की आवश्यकता नहीं है जिसे संपत्ति सबूत के रूप में लिया गया था उसे आपको जल्द से जल्द वापस कर दी जाए की मांग।
- » यदि पात्र हैं, तो अपराधी के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्राप्त कर सकते है, जैसे कि आपराधिक रिकॉर्ड या अपराधी द्वारा सजा की शर्तों का अनुपालन।
- » पूछे सकते है कि आपका प्रभाव स्टेटमेंट पैरोल बोर्ड को उनके रिकॉर्ड के लिए फॉरवर्ड किया जाए।

### सजा, बहाली, और अपराधी की रिहाई जारी रखी....



### आपके पास अधिकार है...

- » अपराधी की पैरोल पात्रता के बारे में पैरोल बोर्ड द्वारा सूचित किया जाना।
- » किसी अपराधी को कम सुरक्षित सुधारक सुविधा में ले जाने से पहले अधिसूचित हो जाना।
- » किसी अपराधी को अस्थायी, अनंतिम, या अंतिम रिहाई से पहले या हिरासत से भागने के बाद अधिसूचित किया जाना।





### आपके पास अधिकार है...

- » हिंसक अपराध पीड़ित के मुआवजे के लिए आवेदन करना, यह देखने के लिए िक क्या आप कुछ अतिरिक्त खर्चें जैसे चिकित्सा, परामर्श या अंतिम संस्कार की लागत, या अपराध के कारण विकलांगता के कारण खोई हुई मजदूरी के लिए प्रतिपूर्ति के योग्य हैं या नहीं।
- » अदालती कार्यवाही के दौरान आपकी व्यक्तिगत जानकारी और आपके परिवार के सदस्यों की जानकारी जैसे घर का पता, टेलीफोन नंबर, स्कूल और रोजगार के स्थान के बारे में जानकारी सार्वजनिक नहीं करने की मांग।
- » न्यायालय प्रक्रिया के साथ आपके दिए हुए सहयोग के कारण से होने वाली हानि या नुकसान के खतरे से कानून प्रवर्तन द्वारा कुछ सुरक्षा।
- » आप से जुड़े आपराधिक मामले का त्वरित निपटान।
- » परीक्षण से पहले रक्षा टीम के साथ साक्षात्कार में भाग लेने से स्वीकार या अस्वीकार करना, या यदि आप साक्षात्कार देने का निर्णय लेते है तो ऐसे किसी भी साक्षात्कार के संचालन पर उचित शर्तें निर्धारित करना।
- » यदि लागू हो, तो अपराध के कारण हुए नुकसान के लिए स्वयं एक सिविल मुकदमा शुरू करने के लिए एक निजी वकील से परामर्श करना।